

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of अरुण कुमार गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

Case No. SUM/8915-25 /20-25 Complaint or report made on

Names and address of the complainant थाना मार्डवाज जिला जबलपुर



Name, parentage, caste and address of accused

1. कुमार ० अलोक केवत ५/० बिषी केवत उम्र २० वर्ष
2. अंजव सिंह ५/० विश्वाम सिंह ठाकुर उम्र २१ वर्ष
3. कुवाल ५/० राम उसाद पतेल उम्र २५ वर्ष
4.

The office complained of and date of its alleged commission- आपने दिनांक ३०.११.२५ को समय करीब १३/३० बजे स्थान मराठी बागवाडा बानी ताल में तास पत्तों से रुपये पैसों की हार जीत का दांव लगाकर जुआं खेलते पाये गये।

इस प्रकार तुम लोगों ने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा १३ के अंतर्गत दण्डनीय कार्य किया है तुम्हारा क्या कहना है ?

स्पष्ट करें कि आपको अपना अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हैं।

अ
(अरुण कुमार गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any) -

अभियुक्त का अभिवाक :

अपराध स्वीकार

अंजव सिंह
Kunal

अ
(अरुण कुमार गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause (f) of clause (g), or subsection (I) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)
(समक्ष-अरुण कुमार गोयल)

::0:: निर्णय ::0::

(आज दिनांक 12.12.25 को घोषित)

SUM/89.15-/2025

1. अभियुक्त/अभियुक्त पर आरोप पत्र अनुसार आक्षेप है कि उसने/उन्होंने बिना अनुज्ञप्ति अवैधानिक रूप से रुपये पैसे के जीत हार का दाव लगाकर ताश पत्तों के माध्यम से सट्टा खेला।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छिक एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे/उन्हें सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
3. उक्त अपराध के लिये अभियुक्त/अभियुक्तगण को 100/- 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त/अभियुक्तगण को 02, 02 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।
4. प्रकरण में जप्त संपत्ति नियमानुसार अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे।

दिनांक:- 12.12.25

स्थान:- जबलपुर, म.प्र.

निर्णय मेरे निर्देश पर टंकित कराकर खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

12.12.25
(अरुण कुमार गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)